कार्यालय निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड।

पत्रांक...1125-39/ अधि/डेरी विकास (दुधारू पशु) योजना/ 2020–21 दिनांक 11 जून, 2020

1. प्रबन्ध निदेशक,
   उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0, हल्द्वानी
   उत्तराखण्ड।
2. समस्त जिला सहायक निबन्धक,
   सहकारी समितियॉ उत्तराखण्ड।
3. समस्त सचिव/महाप्रबन्धक,
   जिला सहकारी बैंक लि0, उत्तराखण्ड।

विषय– एन0सी0डी0सी0 द्वारा राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के अंतर्गत स्वीकृत योजना के माध्यम से दुधारू पशु इकाई स्थापित करने हेतु ऋण स्वीकृति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक कार्यालय परियोजना निदेशक (डेयरी), राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना, उत्तराखण्ड के कार्यालय पत्रांक 46–48/एन0सी0डी0सी0–बैंक पत्राचार पत्रा0/2020–21 दिनांक 08 जून, 2020 के द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में गठित दुग्ध सहकारी समितियों से जुडे दुग्ध उत्पादकों को 03 एवं 05 दुधारू पशुओं की इकाई स्थापित करने हेतु वित्तपोषण क्रमशः मु0 1.62 लाख एवं मु0 2.65 लाख प्रति इकाई लागत करने का अनुरोध किया गया है।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा वित्तपोषित केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषि सहकारिता परियोजना में डेयरी विकास कार्यकमों के अंतर्गत 03 एवं 05 दुधारू पशुओ की इकाई स्थापित करने हेतु दुग्ध सहकारी समितियों के सदस्यों को जिला दुग्ध संघ एवं दुग्ध सहकारी समिति की अनुशंसा पर कमशः 1.62 लाख एवं मु 2.65 लाख के सावधि ऋण अधिकतम 05 वर्ष के लिए स्वीकृत किये जाऐंगे। बैंक अपने संसाधनों से ऋण वितरण हेतु धनराशि उपयोग करते हुए समतुल्य धनराशि की मांग डेयरी विभाग के जनपदीय कार्यालय से करेंगे एवं परियोजना निदेशक (डेयरी), राज्य समेकित सहकारी परियोजना उत्तराखण्ड द्वारा वित्तपोषित राशि को बैंकों को उपलब्ध कराया जायेगा। जिला सहकारी बैंकों की शाखाओं के माध्यम से निम्न शर्तो एवं नियमों के अंतर्गत ऋण स्वीकृत किये जायेंगे–

1. लाभार्थी/ऋण आवेदक को दुग्ध समिति का सदस्य, उत्तराखण्ड का स्थाई निवासी एवं भूमि धारक होना अनिवार्य होगा तथा किसी भी सहकारी समिति एवं वित्तीय संस्था का बकायेदार नहीं होना होगा।
2. ऋण की सुरक्षा हेतु दो स्थानीय जमानती लिए जायेंगे जो कि दुग्ध समिति के सदस्य होगें तथा किसी सहकारी समिति एवं वित्तीय संस्था के बकायेदार नहीं होंगे।
3. इस योजना के अन्तर्गत बैंक द्वारा मात्र उन्हीं आवेदकों को वित्तपोषण किया जाएगा जिनके पास ऋण के सापेक्ष बंधक रखने हेतु स्थाई सम्पत्ति होगी जिससे कि उसकी भूमि पर चार्ज क्रिएट कराया जा सके।
4. लाभार्थी का तात्पर्य उन आवेदकों से है जिनके पास 03 या 05 गायों को रखने हेतु गौशाला निमार्ण के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध हो।
5. योजनान्तर्गत लाभार्थियों के चयन का कार्य डेयरी विभाग के जनपदीय कार्यालयों द्वारा करते हुए आवश्यक आवेदन पत्र जिला दुग्ध संघ एवं दुग्ध सहकारी समिति की अनुशंसा सहित एकत्रित करते हुए प्रत्येक माह की एक निश्चित तारीख पर बैंक को उपलब्ध कराये जायेगें। उपलब्ध कराये गए ऋण आवेदनों को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार बैंक शाखा का होगा।

6. बैंक शाखा को उपलब्ध कराये गए ऋण आवेदन पत्रों का अप्रैजल बैंक द्वारा किया जाएगा। ऋण आवेदनकर्ता के प्रोजेक्ट/भूमि का भौतिक सत्यापन बैंक शाखा तथा जिला दुग्ध संघ/दुग्ध सहकारी समिति द्वारा नामित अधिकारी के साथ सयुक्त रूप से किया जाएगा।
7. स्वीकृत ऋण आवेदनों के सापेक्ष बैंक द्वारा विभाग/परियोजना कार्यालय को सूचित करतें हुए निर्धारित इकाई लागत में से दुधारू पशु मूल्य जिला दुग्ध संघ की अनुशंसा पर सीधे पशु विक्रेता को आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा। पशु क्रय की रसीद, पशु बीमा आदि की प्रतिलिपियॉ बैंक को उपलब्ध कराने का दायित्व जिला दुग्ध संघ एवं दुग्ध सहकारी समिति का होगा।
8. ऋणी तथा जमानतियों को बैंक का नाममात्रिक सदस्य बनना अनिवार्य होगा।
9. ऋणी से ऋण राशि पर 12.00 प्रतिशत की वार्षिक दर से मासिक आधार पर ब्याज लिया जाएगा एवं ब्याज को मासिक आधार पर ऋण खातें में पूंजीगत किया जाएगा।
10. उक्त योजना के अन्तर्गत वित्तपोषित राशि क्रमशः मु0 1.62 लाख एवं मु0 2.65 लाख पर बैंक द्वारा 12.00 प्रतिशत ब्याज लगाया जाएगा तथा एन0सी0डी0सी0 एवं डेयरी विकास विभाग द्वारा वित्तपोषण हेतु उपलब्ध कराई गई राशि बैंक द्वारा 10.85 प्रतिशत ब्याज की दर से पुर्नवित्त राशि वापिस की जायेगी।
11. उक्त योजना में ईकाइ लागत पर 25 प्रतिशत अनुदान, 10 प्रतिशत लाभार्थी अंश व शेष 65 प्रतिशत ऋण होगा।
12. ऋण आवेदक द्वारा डेयरी व्यवसाय हेतु भारत सरकार की डी0ई0डी0एस0 योजना के अन्तर्गत अनुदान अर्जित ना किया हो।
13. एन0सी0डी0सी0 द्वारा वित्तपोषण राशि पर 10.60 प्रतिशत ब्याज लगाया जाएगा तथा डेयरी विकास विभाग उत्तराखण्ड द्वारा 0.25 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज लगाया जायेगा। अर्थात वित्तपोषित राशि पर कुल 10.85 प्रतिशत ब्याज वार्षिक आधार पर लगाया जाएगा। वित्तपोषित राशि एवं ब्याज का भुगतान बैंक को करना होगा।
14. स्वीकृत/वितरित किये गए ऋणों का विवरण बैंक द्वारा पाक्षिक/मासिक आधार पर पुर्नवित्त पोषण हेतु डेयरी विकास विभाग को प्रस्तुत करना होगा।
15. राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदान जोकि 25 प्रतिशत है के लिए डेयरी विकास विभाग को जिला सहकारी बैंकों के मुख्यालय में 'डेयरी विकास हेतु अग्रिम अनुदान' नाम से खाता खोलना होगा। उक्त योजना के अन्तर्गत वितरित ऋणो पर 25 प्रतिशत अनुदान (19 प्रतिशत डेयरी विकास विभाग तथा 06 प्रतिशत एन0सी0डी0सी0) डेयरी विकास विभाग के माध्यम से बैंको को उपलब्ध कराया जाएगा। जोकि लाभार्थी के खाते में ऋण की पूर्ण वापसी के पश्चात जमा की जाएगी।